संख्या-771 /VI/2005-5 पर्य0/97

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग: देहरादून दिनांक 02 अगस्त, 2005

विषय:-केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु केन्द्रांश एंव राज्यांश की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-234/VI/2005--5पर्य0/97,दिनांक 14 मार्च,2005 तथा आपके पत्रांक-188/2-7-364/02-03 दिनांक 15 जुलाई,2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन विभाग की केन्द्र पोषित योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड़ मात्र) में से संलग्न विवरणानुसार रू0 830.10 लाख केन्द्रांश एवं रू0 70.59 लाख राज्यांश अर्थात कुल रू0 900.69 लाख (रूपये नौ करोड़ उनसत्तर लाख मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय व्ययहेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3- योजनावार आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों की जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्म है, स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरें/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

8- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

9-निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

10-स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

11-कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

12-यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत की जा रही योजनाओं हेतु धनराशि का दोहरा आहरण न किया जाय। इस हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

13-आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।

14-उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत कार्य/योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करते समय सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी कार्य स्थल पर इस आशय का एक साईनेज स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग के सौजन्य से किया जा रहा है एवं साईनेज पर पर्यटन विभाग का लोगो सहित कार्य का विवरण भी इंगित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना एवं योजना का फोटोग्राफ्स भी यथा समय शासन को उपलब्ध करायेंगे।

15- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-03-2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा और कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण मासिक रूप से राज्य सरकार को एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार व राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा।

16-कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

17-निर्माण कार्यों/योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत इनके संचालन की विधिवत व्यवस्था/एग्रीमेंन्ट करने के उपरांत ही संबंधित नामित संस्था के संचालन हेतु दी जाये।

18-यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सम्बंधित निर्माण एजेन्सी स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने हेतु एक पर्ट चार्ट तैयार कर पर्यटन निदेशालय/शासन को उपलब्ध करायेगा एवं कार्य को निर्धारित समय के भीतर पूर्ण करने हेतु वचनबद्धता भी इंगित करेगा।इस हेतु सम्बंधित निर्माण एजेंसी अनुबन्ध भी करा लिया जाय एवं इसकी सूचना कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

19-उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-104-सम्बर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-02-पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

20-उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0- 1126/वित्त अनु0-3/2005, दिनांक 30 जुलाई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या- VI/2005-5 पर्य0/97 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3- जिलाधिकारी,पिथौरागढ,उत्तरकाशी,पौडी ।
4- निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
5- निजी सचिव मा0 पर्यटन मन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
6- वित्त अनुभाग-3 ।
7- श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त।
8- अपर सचिव, नियोजन।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

शासनादेश संख्या– VI/2005–5 पर्य0/97दिनांक अगस्त ,2005 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	अवमुक्त केन्द्रांश	केन्दांश के सापेक्ष अवमुक्त हेतु राज्यांश	योग	निर्माण इकाई
1	2	3	4	5	6
1.	माउन्टेनियरिंग एण्ड टूरिज्म मीट	12.00	—	12.00	उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद
2.	पर्यटक आवास गृह बार्सू	6.79	—	6.79	गढ़वाल मण्डल विकास निगम देहरादून
3.	ग्रामीण पर्यटन के अन्तर्गत ग्राम अगोडा (डोडीताल) का पर्यटन विकास	38.80	—	38.80	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी
4.	ग्रामीण पर्यटन के अन्तर्गत हब ग्राम मोटाड़ (उत्तरकाशी) का पर्यटन विकास	38.44	—	38.44	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी
5.	दयारा बुग्याल के लिये शीत कालीन क्रीड़ा केन्द्र हेतु उपकरणों के क्रय	107.52	—	107.52	गढ़वाल मण्डल विकास निगम देहरादून
6.	पर्यटन नेटवर्किंग कुमाऊ मण्डल	40.00	50.00	90.00	कु0म0वि0नि0 नैनीताल
7.	बद्रीनाथ धाम ट्रैवल सर्किट का समेकित विकास	561.67	—	561.67	गढ़वाल मण्डल विकास निगम देहरादून
8.	मार्गीय सुविधा कर्ण प्रयाग (जोशीमठ)	7.18	8.29	15.47	गढ़वाल मण्डल विकास निगम देहरादून
9.	कसारदेवी पर्यटन ग्राम का विकास	12.50	12.30	24.80	कु0म0वि0नि0 नैनीताल
10.	कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर 07 स्थानों में जन सुविधाओं की स्थापना	5.20	—	5.20	कु0म0वि0नि0 नैनीताल
	योग	830.10	70.59	900.69	

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।